Boon

10

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक/प्रशा.13/2024-25चिकित्सा दावा./का.आ./73 दिनांक : 12.02.2025

कार्यालय आदेश/Officer order

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में उनके स्वयं/आश्रितों की चिकित्सा, निजी चिकित्सालयों में करवाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते है:-

All the officers/officials working in the office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh, Gwalior are hereby informed that the following instructions are issued for getting treatment in private hospitals in emergency cases for themselves/their dependents :-

1. आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा करवाने के दौरान, निजी चिकित्सालय से डिस्चार्ज से पूर्व, अधिकारी/कर्मचारी को तदाशय की सूचना अपने समूह के उप महालेखाकार (सम्बंधित समूह अधिकारी) को आवश्यक रूप से देनी होगी | सम्बंधित समूह अधिकारी यदि आवश्यक समझें तो आपातकालीन स्थिति में ली जा रही चिकित्सा की सत्यता की जाँच भी करवा सकते हैं | प्रधान महालेखाकार के समूह में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस आशय की सूचना सचिव, प्रधान महालेखाकार को देनी होगी |

During treatment in private hospitals in an emergency situation, before discharge from private hospital, the officer/official must inform the Deputy Accountant General of his concerned Group about the intention. If the concerned Group Officer deems it necessary, he may also get checked the authenticity of the treatment being taken in emergency situation. Officers/Officials working in the group of the Principal Accountant General will have to inform the situation to Secretary, Principal Accountant General.

2. CGHS नियमानुसार एवं चिकित्सा नियमावली, 1944 के Appendix-VIII के पैरा 1(1) में वर्णित आपातकालीन स्थितियों में विचारणीय बीमारियों के परिप्रेक्ष्य में, सम्बंधित समूह अधिकारी चिकित्सा दावा की अस्वीकृति के सम्बन्ध में अपना अभिमत, यदि वांछित हो तो, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे|

In view of the considerable ailments in emergency situations as per CGHS Rules and as mentioned in para 1(1) of Appendix-VIII of the Medical Attendance Rules, 1944, the concerned Group Officer will submit his opinion

regarding non-acceptance of Medical claim, If desired, to the Head of the Department (HoD)

3. कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन उपरांत, प्रशासन-13 में प्राप्त आपातकालीन चिकित्सा दावा देयकों को नियमानुसार पारित करने सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी | चिकित्सा दावा देयकों की पारित राशि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation of powers) के अनुसार स्वीकार की जावेगी|

After approval of the HoD, the action will be taken to pass the emergency Medical claim bills received in OE-13 as per rule. The amount of the medical claim bills passed will be accepted by the competent authority as per the delegation of powers.

उक्त प्रक्रिया कार्यालय आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करने की स्थिति में चिकित्सा दावा देयक पर विचार नहीं किया जावेगा|

The said procedure will be effective from the date of issue of this office order and in cases of non-compliance of the above procedure, the Medical claim bill will not be considered.

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-13

क्रमांक/प्रशा.13/2024-25चिकित्सा दावा./का.आ.73 /STR/II/278 दिनांक : 12.02.2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिवालय, प्रधान महालेखाकार
2. सचिवालय, उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-I, II, III, IV एवं प्रशासन की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त अधीनस्थों को अवगत कराने का कष्ट करें|
3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़.)-प्रथम, म.प्र., ग्वालियर |
4. श्री नरेश आहूजा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को Intranet/Internet पर अपलोड सम्बन्धी कार्य हेतु|
5. सूचना पटल |

संजीव 12/02/25

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-13